# <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 215 / 12</u> संस्थापन दिनांक :- 17 / 05 / 12 फाईलिंग नं. 233504000702012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

### वि क्त द्ध

संदीप पिता गोकुल पवार, उम्र 20 वर्ष निवासी गोविंद कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

## <u>-: ( निर्णय ) :-</u>

## (आज दिनांक 08.12.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 16. 05.2012 को समय शाम 06:30 बजे बस स्टेंड आमला के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 16.05. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त बस स्टेंड आमला में अवैध रूप से एक तलवारनुमा बड़ी लोहे की धारदार छुरी लिए आने जाने वालों को डरा धमका रहा है, जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसे एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिए मिला जिसे उसने हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा शस्त्र रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 173/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया

गया ।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

## 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.05.2012 को समय शाम 06:30 बजे बस स्टेंड आमला के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?"

#### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 16.05. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ बस स्टेंड आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए लोगों को डराते धमकाते मिला जिस पर उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तथार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 173/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त की थी।
- 6 दुर्गा प्रसाद (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसकी गाड़ी लेकर चला गया था जिस पर उसने अभियुक्त को थाने पकड़कर लाया था। थाने में पुलिस ने अभियुक्त की तलाशी ली थी जिस पर अभियुक्त के पास चाकू मिला था। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थनन करने पर अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

- 7 साक्षी हीरालाल के अदम पता हो जाने से उसकी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी दुर्गाप्रसाद (अ.सा.—1) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आर.के दुबे (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 8 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने मुखबिर से सूचना मिलने पर बस स्टेंड मौके पर जाना तथा वहां पर अभियुक्त संदीप से तलवारनुमा छुरी जप्त करना, अभियुक्त को गिरफ्तार करना एवं तत्पश्चात थाने आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त संदीप से उसने कोई लोहे का छुरा जप्त नहीं किया था। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा दी गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।
- 9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) पर अपराध कमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना परिलक्षित होती है कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.—2) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि मौके पर जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी एवं आयुध धारदार था अथवा नहीं। न ही कोई स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट हुआ है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) में जप्ती का समय 18:30 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक पर गिरफ्तार का समय 18:35 बजे लेख है। मात्र पांच मिनट में मौके पर जप्तशुदा आयुध की नाप करना, उसे सीलबंद करना, तत्पश्चात प्रपत्र तैयार करना असंभव नहीं परंतु अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है। अभिलेख पर रोजनामचा सान्हा रवानंगी एवं वापसी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों अभियोजन कथा को एवं अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती को संदेहास्पद बनाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.05.2012 को समय शाम 06:30 बजे बस स्टेंड आमला के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

अतः अभियुक्त संदीप को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)